



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062022-236240
CG-DL-E-02062022-236240

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2410]
No. 2410]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2022/ज्येष्ठ 11, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2022/JYAISTHA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 1 जून, 2022

का.आ. 2537(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करती है: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एस.ओ.का.आ.सं. 2247 (ई) दिनांक 28.06.2019 और एस.ओ.का.आ.सं.781(ई) दिनांक 17.02.2022।

उक्त अधिसूचनाओं की अनुसूची में क्रमांक के

(i) कॉलम (2) के सामने। भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) से संबंधित संख्या (2) को संयुक्त कलेक्टर, कृष्णा

(ii) के कॉलम (5) के स्थान पर "संयुक्त कलेक्टर, एनटीआर" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा। सं. (2) जिले से संबंधित मंडलों के लिए "कृष्णा" के स्थान पर "एन टी आर" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा 1. गम्पलागुडेम 2. जी. कोंडुरु, 3. विजयवाड़ा (ग्रामीण) खम्मम से विजयवाड़ा ग्रीन फील्ड तक के खंड के लिए आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरणों के कार्यों को करने के लिए NH-163G का संरेखण अनुभाग।

नए जिलों के गठन के कारण आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में NH-163G के लिए CALA नामकरण और जिले के नाम में परिवर्तन।

आंध्र प्रदेश राज्य में नए जिलों के गठन के कारण CALA नामकरण और जिले के नाम में परिवर्तन।

आंध्र प्रदेश राज्य में नए जिलों के गठन के कारण CALA नामकरण और जिले के नाम में परिवर्तन।

[फा. सं. NHAI/PIU-KMM/K-V/DPA/LA/3a(2)/2019/Corr.]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st June, 2022

S.O. 2537(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the Gazette Notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published vide S. O. 2247 (E) dated 28.06.2019 & S.O.NO.781(E) dated 17.02.2022.

In the Schedule to the said Notifications against

(i) column (2) of Sl. No.(2) relating to CALA(Competent Authority for Land Acquisition) shall be substituted as "Joint Collector, NTR", in place of "Joint Collector, Krishna"

(ii) column (5) of Sl. No.(2) relating to District shall be substituted as "NTR " in place of "KRISHNA" for the mandals 1. Gampalagudem 2. G.Konduru, 3.Vijayawada(Rural) for the stretch from Khammam to Vijayawada Green Field alignment Section of NH-163G to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Change of CALA Nomenclature and District Name for NH-163G in NTR District of Andhra Pradesh, due to formation of new Districts.

Due to the formation of new districts in the state of Andhra Pradesh Change in CALA Nomenclature & District Name.

[F. No. NHAI/PIU-KMM/K-V/DPA/LA/3a(2)/2019/Corr.]

RAJESH GUPTA, Director